उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग-2

संख्या- 5/2017/398/छत्तीस-2-17-130/2010टी0सी0-।

लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2017

<u>अधिस्चना</u>

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2009 की धारा 256 (1) की उप धारा (5) एवं (6) में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत 30प्र0 भवन एवं अन्य सिन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा सेवायोजक पक्ष एवं श्रमिक प्रतिनिधि के रूप में नामित किये गये क्रमशः तीन-तीन अर्थात कुल छः गैर सरकारी सदस्यों को अधिसूचना संख्या-मु0स0-15/36-2-2015-130/2010 टी0सी0, दिनांक 22-03-2017 द्वारा कार्यमुक्त किये जाने के फलस्वरूप उक्त बोर्ड के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु उक्त नियमावली की धारा 256 (2) के अधीन प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तात्किलिक प्रभाव से प्रश्नगत अधिसूचना निर्गत होने के दिनांक से छः (06) माह के लिए अथवा नियमावली की धारा 256 (1) में दी गयी व्यवस्थानुसार बोर्ड के यथोचित गठन होने तक, जो भी पहले घटित हो, श्री राज्यपाल श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सिचव, उ०प्र0 शासन, श्रम विभाग को उ०प्र0 भवन एवं अन्य सिन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में प्रशासक के रूप में नियुक्त करते है।

श्री राज्यपाल की ओर से

कृष्ण मोहन त्रिवेदी विशेष सचिव।

संख्या- 5/2017/398/छत्तीस-2-17-130/2010 टी0सी0-। तददिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, श्रम विभाग।
- 2- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- 4- महालेखाकार, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 5- श्रमायुक्त, उ०प्र० कानपुर।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, 30प्र01
- 7- समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
- 8- सचिव, उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
- 9- गोपन अनुभाग-1 ।
- 10- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को असाधारण गजट के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण मोहन त्रिवेदी विशेष सचिव।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।